राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

(शैक्षिक सर्वे, अनुसंधान, आकलन एवं मूल्यांकन तथा नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग)

Email-hod.dsm.siert@rajasthan.gov.in Phone No- 0294.2415202

क्रमांक/राराशैअप्रप–उदय/प्र.2/ फा–1052/2022/520 दिनांक 11.01..2022

NMMS परीक्षा 2022 के आनलाइन आवदेन के लिए संस्थाप्रधान हेतु दिशा निर्देश–

1. कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्थाप्रधान अपनी शाला दर्पण आई–डी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सलेक्ट करें।
2. अपनी शाला दर्पण आई–डी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सलेक्ट करें। संस्थाप्रधान सम्बन्धित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणिकरण (Verify) करें। यदि दस्तावेजों की जाँच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
3. संस्थाप्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है।

- विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरान्त ही आवेदन पत्र ऑनलाईन करे।
- जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर आवश्यक),
- 7th की अंकतालिका / प्रमाण पत्र (राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण) कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत

  सामान्य वर्ग 55%

  अनु जाति / अनु जनजाति / निःशक्तजन हेतु 50%

  यदि राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 7 में क्रमोन्नत किया गया है तो न्यूनतम उतीर्णांक अनिवार्य नही है।
- निःशक्तजन प्रमाण पत्र (निःशक्तता–40% या अधिक एवं लागू होने पर आवश्यक)
- आय प्रमाण में अभिभावक / माता–पिता की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय 1,50,000/- रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए
- आधार कार्ड प्रति (स्वय द्वारा प्रमाणित)

4. आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्ठियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाईल अपडेट अवश्य करें आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्थाप्रधान सुनिश्चित कर से इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गयी है।
5. संस्थाप्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नही किये जाएंगे।
6. संस्था प्रधान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन यूपीआई ऐप / नेट बैकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएँ।
7. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्थाप्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाये जायें।
8. मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाये
9. सभी संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है, तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है।

10. विद्यार्थी के एनएमएमएस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें।
11. समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।
12. विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्थाप्रधान प्रमाणित करें प्रवेशपत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावे।
13. प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें।
14. विद्यार्थी के नाम जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण तथा वर्तनी आदि की दृष्टि से अन्तर नहीं होना चाहिए।
15. सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मय दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें।
16. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना करें।
17. NMMS योजना से सम्बन्धित विज्ञप्ति दिशा निर्देश व आदेश दस्तावेज को फाइल बनाकर सुरक्षित रखें।
18. इस योजना से सम्बन्धित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है।
19. RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक द्वारा अग्रेषित कराएं।
20. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन के विकल्प नहीं हैं, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें।

(नीरू भारद्वाज)
प्रोफेसर–I
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्,उदयपुर